उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

राजकीय आई टी आई परिसर अलीगंज, लखनऊ–226024

संख्याः /उ0प्र0कौ0वि0मि0 /2023–24/का0आ0/1656

दिनांकः 11 अप्रैल, 2023

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–21 की अन्तरावधि में पूर्णता अथवा अंशतः ऑफलाइन मोड द्वारा संचालित प्रशिक्षण सत्रों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

मिशन के पूर्व पोर्टल के स्थान पर NIC के माध्यम से नवीन व उच्चीकृत पोर्टल को विकसित करने की प्रक्रिया के अनन्तर वित्तीय वर्ष 2019–21 की अन्तर्वधि में कतिपय प्रशिक्षण सत्र या तो पूर्णतः अथवा अंशतः ऑफलाइन मोड में संचालित किये गए है जिनमे मिशन द्वारा संचालित योजनाओ के अंतर्गत शॉर्ट–टर्म ट्रेनिंग से सम्बंधित बैच तथा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों की महिलाओ के लिए संचालित RPL Bridge कोर्स के बैच सम्मिलित है।

2. नवीन उच्चीकृत तथा समृद्ध (New, Upgraded & Enriched) पोर्टल के विकास की अवधि में हुए स्वाभाविक समयांतराल के फलस्वरुप प्रभावित बैचों में सम्मिलित तथा प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियो की उपस्थिति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो पा रही है जिससे इन बैचो का मूल्याङ्कन नहीं हो पा रहा है और प्रशिक्षणार्थियो का भविष्य भी प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही बैचो का अंतिमीकरण भी लंबित है।

3. उक्त अवधि में संचालित प्रशिक्षण सत्रों में सम्मिलित प्रशिक्षणार्थियो की प्रमाणिकता तथा उनकी उपस्थिति का प्रमाणन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अतिरिक्त मिशन द्वारा प्रशिक्षित किये गए युवाओ के समग्र आकड़े भी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है की इन बैचो में सम्मिलित प्रशिक्षणार्थियों का सत्यापित विवरण पोर्टल पर उपलब्ध हो।

4. अतः उक्त प्रकिया को पारदर्शिता व प्रमाणिकता के साथ सुनिश्चित करने के लिए निम्लिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

- वर्ष 2019–21 में उपर्युक्त कारणों से प्रभावित समस्त प्रशिक्षण सत्रों (शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग अथवा आरपीएल) का विवरण मिशन के पोर्टल पर अपलोड कराया जायेगा। ऐसे समस्त बैचों में सम्मिलित प्रशिक्षणार्थियो की प्रमाणिकता eKYC के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी। इसका प्राविधान मिशन के पोर्टल पर उपलब्ध है।

- प्रत्येक प्रभावित बैच के समस्त प्रशिक्षणार्थियो की eKYC प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् सम्बंधित प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा बैच व प्रशिक्षणार्थियो का विवरण मिशन के पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा जिसका सत्यापन जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा किया जायेगा तथा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा द्वारा संलग्न प्रारूप पर प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

- बैचवार तथा प्रशिक्षणार्थीवार संलग्न प्रारूप पर सत्यापित व प्रतिहस्ताक्षरित विवरण को डिजिटल हस्ताक्षर से जिला समन्यवक द्वारा मिशन के पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

5. ऑफलाइन बैच संचालन के अन्तर्गत समस्त बैचों में प्रशिक्षणार्थियो की eKYC प्रक्रिया तथा उनकी उपस्थिति का प्रमाणन मुख्य विकास अधिकारी से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा तत्पश्चात ही जिला समन्यवक द्वारा सम्बंधित विवरण को मिशन के पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा।

6. उक्त कार्यवाही पूर्ण होने की पुष्टि आईटी प्रकोष्ठ द्वारा की जाएगी। तत्पश्चात ही इन बैचों का अन्यथा कोई प्रतिकुल कारण न होने की दशा में मूल्याङ्कन अथवा भुगतान सम्बंधित प्रकरण व्यवहरित किया जा सकेगा।

7. सम्बंधित प्रकोष्ठ द्वारा उपर्युक्त कार्यवाही के आधार पर मूल्याङ्कन तथा भुगतान की प्रक्रिया ऑफलाइन मोड से सुनिश्चित कराई जाएगी।

<u>संलग्नक– संदर्भित प्रारूप</u>

(आन्द्रा वामसी)
आईएएस
मिशन निदेशक

संख्याः 64 /उ0प्र0कौ0वि0मि0 /2023–24/का0आ0/1656 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त जिला समन्वयक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, उ0प्र0
4. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, उ0प्र0।
5. सहायक निदेशक/प्रबंधक, आईटी को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
6. समस्त प्रशिक्षण प्रदाता, अनुबंधित उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल।

(आन्द्रा वामसी)
आईएएस
मिशन निदेशक

संलग्नक

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणर्थियों का सत्यापन प्रपत्र

प्रशिक्षण प्रदाता का नाम – सेंटर कोड –

सेंटर का पता – बैच संख्या –

क्र.सं.	प्रशिक्षणर्थी का कोड	प्रशिक्षणर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	आधार ई–केवाईसी (हाँ/नहीं)	प्रशिक्षण प्राप्त किया (हाँ/नहीं)	वर्दी प्राप्त हुई (हाँ/नहीं)	प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त (हाँ/नहीं)	सेवायोजन हुआ (हाँ/नहीं)	यदि सेवायोजन हुआ तो मासिक वेतन	अभियुक्ति

हस्ताक्षर
परामर्शी सह MIS प्रबंधक

हस्ताक्षर
जिला समन्वयक

हस्ताक्षर
मुख्य विकास अधिकारी